संख्या-149/2020/ 1666/चार-2020

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,

जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 27 नवम्बर, 2020

विषय:- राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, मेरठ की वीथिका में स्थायी प्रदर्शनी हेतु वाहन उपयोग करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार के शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित पत्र संख्या-325/नौ-86/2020-21 दिनांक 06 नवम्बर, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे ।

2- उक्त संबंध में शासन के पत्र संख्या- 1356/चार-2020 दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, मेरठ की वीथिका में स्थायी प्रदर्शनी हेतु संस्कृति निदेशालय उ0प्र0 की प्रतिमाह अनुमोदित दर पर माह नवम्बर, 2020 से माह मार्च, 2021 तक (05 माह) स्थानीय यात्रा हेतु एक वाहन का उपयोग करने हेतु रू0 42000/- (रूपये बयालिस हजार मात्र) की -प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

3- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा और स्वीकृत मदों पर ही व्यय की जायेगी, अन्य मदों अथवा व्यय की की नई मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी और स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। उक्त आहरित धनराशि को बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी। उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों तथा तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-149/दस-2020-231/2020 , दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

5- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या- 92- के अधीन लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-104-अभिलेखागार-03-राज्य अभिलेख-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से वहन की जायेगी।

6 - यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-149/दस-2020-231/2020 , दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)

प्रमुख सचिव

संख्या-149/2020/1666/चार-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ।

3- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग उ0प्र0 शासन।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिशिर)

विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।